रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 1973/वैशाख 13, 1895
No. 173] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1973/VAISAKHA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May 1973

S.O. 263(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the House of the People from the 24-*Rajmahal* (*S.T.*) *Parliamentary Constituency in Bihar State*

"In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Yogesh Chandra Murmu, Vill.—Paliadaha, P.O. Paliadaha, S.P.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Iswar Marandi.

Place—Dumka.
Date—18th April, 1973.

(Sd.) ILLEGIBLE,
18-4-73,
Returning Officer,
24-Rajmahal (S.T.)
Parliamentary Constituency."

[No. F.13(1)/73-Leg.II.]

S. HARIHARA IYER,
Jt. Secy. and Legislative Counsel.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1973

का० आ० 263 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है —

घोषणा

बिहार राज्य में 24—राजमहल (अनुसूचित जनजाति) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक-सभा के लिए उपनिर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री ईश्वर मराण्डी की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

योगेश चन्द्र मुर्मू

ग्राम—पालियादहा डाकघर पालियादहा

सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान—दुमका
तारीख—18 अप्रैल 1973

(ह०) अस्पष्ट
18-4-73
रिटर्निंग आफिसर
" 24—राजमहल
(अनुसूचित जनजाति)
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र "

[सं० फा० 13 (1) /73 विधा० II]

एस० हरिहर अय्यर,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973